निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

तारीख दायरा: 25.02.2021

मि0न0 12/अपील/21

रामलाल पुत्र बलराम उम्र 32 वर्ष जाति तंवर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कोहडी झर तहसील अकलेरा नि0 ग्राम पाटडी उर्फ गिरधरपुरा तहसील अकलेरा
(अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

अपील बनाराजी निर्णय माननीय जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ दिनांक 03.02.2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 23/2020 उनवान सरकार बनाम रामलाल

उपस्थित:– श्री बच्चूलाल, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

दिनांक: 03.09.2021

–: निर्णय :–

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के प्राधिकार पत्र निरस्तगी के आदेश क्रमांक: 23/2020/दिनांक 03.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित किया है कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत कोहडी झर तहसील अकलेरा का दुकानदार है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 23.05.2020 को कारण बताओ नोटिस जिसकी पालना करते हुए अपीलान्ट ने दिनांक 28.10.2020 को 130 क्विंटल गेहू व 99 किग्रा चीनी अटेचमेन्ट वाले डीलर को सम्हला दिया था बाकी स्टॉक को दिनांक 10.11.2020 तक सम्हलाने के लिये निवेदन किया था बाकी स्टॉक भी अपीलान्ट ने दिनांक 08.01.2021 को एटेचमेन्ट डीलर को सम्हला दिया था। इसके अलावा दुकान के निरीक्षण में पाई गई कंमियां अपीलान्ट ने दूर कर दी थी। जिस सम्बन्ध में प्रवर्तन निरीक्षक ने दिनांक 27.01.2021 को जिला रसद अधिकारी को सूचित कर दिया गया था। अपीलान्ट ने आदेश की पालना में सारा कार्य व्यवस्थित कर दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कानून न्याय के सर्व मान्य सिद्धान्तों के विरूद्व मनमाना होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने अटेचमेन्ट डीलर को गेहूं व चीनी को सुपुर्द किया गया है इससे राज्य सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नही हुआ है।इस तरह के अन्य मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा मामूली दण्डित करके लाईसेंस को बहाल किया गया है। क्षेत्र के निवासियों ने एक अन्य डीलर शंकरलाल की शिकायत की थी लेकिन दण्ड अपीलान्ट को दिया गया। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से परिवार के सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 03.02.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की डीलर शिप को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत कोहडी झर तहसील अकलेरा का दुकानदार है। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 23.05.2020 को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसकी पालना करते हुए अपीलान्ट ने दिनांक 28.10.2020 को 130 क्विंटल गेहू व 99 किग्रा चीनी अटेचमेन्ट वाले डीलर को सम्हला दिया था बाकी स्टॉक भी अपीलान्ट ने दिनांक 08.01.2021 को एटेचमेन्ट डीलर को सम्हला दिया था। इसके अलावा दुकान के निरीक्षण में पाई गई कंमियां अपीलान्ट ने दूर कर दी थी। अपीलान्ट ने आदेश की पालना में सारा कार्य व्यवस्थित कर दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया

गया जो कानून न्याय के सर्व मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध मनमाना होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने अटेचमेन्ट डीलर को गेहूं व चीनी को सुपुर्द किया गया है इससे राज्य सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नही हुआ है। इस तरह के अन्य मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा मामूली दण्डित करके लाईसेंस को बहाल किया गया है। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की पालना में ऐसी जांच की कार्यवाही तीन महिने में पूरी होनी चाहिये उस समयावधि के पश्चात की गई कार्यवाही अवैध व शून्य है। अतःजिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 03.02.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

पेरोकार रसद ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार की शिकायत ग्राम वासियान पाटडी गिरधारपुरा द्वारा जिला कलक्टर महोदय को दिनांक 30.01.2020 को किये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा रामलाल उचित मूल्य दुकानदार कोहडीझर पाटडी की दुकान का भोतिक निरीक्षण दिनांक 05.02.2020 को किये जाने पर 280.13 क्विटंल गेहू व 99 किग्रा चीनी का गबन पाया जाने पर दिनांकः 06.02.2020 को प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर उचित मूल्य दुकान को अस्थायी रूप से अन्य डीलर को अटेच किया गया। रामलाल को दिनांक 23.05.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब दिनांक 25.06.2020 को प्रस्तुत कर अटेच डीलर को राशन सामग्री जल्द ही सम्भलाने बाबत लिखा गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 23.05.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक को निलबिंत व अटेच दुकानदार के मध्य स्टॉक के हस्तान्तरण की रिपार्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा स्टॉक का हस्तान्तरण नही होने बाबत रिपोर्ट दिनांक 02.06.2020 को जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की गई। रामलाल को पुनः 04.01.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब 08.01.2021 को प्रस्तुत कर अवशेष माल को सम्बन्धित डीलर को सम्भलवा दिया गया है अवगत कराया। दिनांकः 03.02.2021 को रामलाल उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।

पेरोकार सरकार ने बताया कि निलम्बित डीलर को निलम्बन के पश्चात नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के पर्याप्त मौके देने, प्राधिकार पत्र निलम्बित होने के उपरान्त सामग्री लोटाने को गबन की श्रेणी में व अनियमितता मानते हुए प्राधिकार पत्र को दिनांक 03.02.2021 को निरस्त कर दिया गया है बिल्कुल सही है, अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम वासियान पाटडी गिरधारपुरा द्वारा उचित मूल्य दुकानदार शंकर की शिकायत जिला कलक्टर महोदय को दिनांक 30.01.2020 को की गई थी। किन्तु यह शिकायत उचित मूल्य दुकानदार रामलाल द्वारा उपभोक्ताओं को राशन का स्टॉक नही होने व उपभोक्ताओं द्वारा धमकाने के कारण व उपभोक्ताओं को झूठ बोलने पर की गई थी जो फर्द पूछताछ अनुसार '' मैं सस्पेंड हो गया हूँ और दुकान शंकरलाल के अटेच हो गयी तो मेरे उपभोक्ता शंकर लाल से से राशन लेने चले गये और शंकर लाल से झगडा किया शंकर लाल के द्वारा किसी उपभोक्ता के मशीन पर अंगुलिया नही लगवायी गयी है। '' से साबित है। इस प्रकार रामलाल द्वारा स्वंय माना है कि राशन का स्टॉक नही होने से उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध नही कराया गया जिसकी पुष्ठी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा रामलाल उचित मूल्य दुकानदार कोहडीझर पाटडी की दुकान के भोतिक निरीक्षण दिनांक 05.02.2020 के दौरान 280.13 क्विटंल गेहू व 99 किग्रा चीनी का कम पाया जाने की रिपोर्ट जो गबन की श्रेणी में आता है से होती है। इसी कम में दिनांकः 06.02.2020 को प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर उचित मूल्य दुकान को अस्थायी रूप से अन्य डीलर को अटेच किया गया। रामलाल को दिनांक 23.05.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब दिनांक 25.06.2020 को प्रस्तुत कर अटेच डीलर को राशन सामग्री जल्द ही सम्भलाने बाबत लिखा गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा स्टॉक का हस्तान्तरण नही होने बाबत रिपोर्ट भी दिनांक 02.06.2020 को जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत

की गई। रामलाल को पुनः 04.01.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब 08.01.2021 को प्रस्तुत कर अवशेष माल को सम्बन्धित डीलर को सम्भलवाने बाबत अवगत कराया गया। इस प्रकार निलम्बित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बकाया सम्पूर्ण स्टॉक को सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार को लगभग 11 माह पश्चात स्थानान्तरित किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार की शिकायत प्राप्त होने पर उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 06.02.2020 को निलम्बित कर अपीलान्ट को दिये गये नोटिसों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने पर भी अपीलान्ट द्वारा कोई स्पष्ट एंव संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया व 11 माह पश्चात अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण किया जाना साबित है । खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर द्वारा आदेशों के क्रम में निलम्बन के पश्चात 90 दिन के अन्दर जांच पूर्ण कर जिला रसद अधिकारी को अपना निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अपीलान्ट को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जानुबूझ कर जवाब अधीनस्थ जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत नही करने, 11 माह पश्चात अवशेष स्टाक को सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानदार को हस्तान्तरण पर प्रकरण संख्या– 23/2020 में निर्णय दिनांक 03.02.2021 पारित किया गया है जो नियमानुसार विधि संगत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट अनियमितता का दोषी पाया जाता है। 03 माह की अवधि में निस्तारण में देरी जिला रसद अधिकारी के स्तर से नही की गई बल्कि अपीलान्ट के खुद के जवाब नही देने व सामग्री नही लोटाने के कारण हुई है। जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2021 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/9/2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़